



क्षेत्रीय कार्यालय
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)

Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक / 1243 / क्षे.का./स्था./ प्रनिबो/2020
प्रति,

रीवा, दिनांक 10/9/20

अनुविभागीय अधिकारी
तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- ग्राम बैजनाथ हिनौती एवं खम्हरिया के स्टोन क्रेशर में सम्राट स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ का संचालन बन्द करने के संबंध में।

- संदर्भ :-
1. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1002 दिनांक 04.08.2020
 2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1036 दिनांक 08.08.2020
 3. आपका पत्र क्र. 982 दिनांक 18.08.2020 प्राप्त दिनांक 04.09.2020

कृपया संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आपके निर्देशानुसार प्रत्येक प्रकरण की 03 प्रतियाँ पृथक-पृथक रूप से आपके कार्यालय में दिनांक 10.08.2020 को प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके पूर्व दिनांक 08.08.2020 को इस कार्यालय के डॉ. अशोक तिवारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं श्री रामनारायण चतुर्वेदी, सहायक मानचित्रकार को भेजकर निर्देशानुसार आवश्यक प्रक्रिया एवं निर्धारित शुल्क प्रत्येक प्रकरणों को जमा की गयी है। इस कार्यालय के पत्र क्र. 1036 दिनांक 08.08.2020 के साथ कुल संलग्नक 07 पृष्ठ संलग्न जमा किये गये हैं, उक्त संलग्न पत्रों में से क्रमशः 03 पत्र इस कार्यालय के जावक 13192 दिनांक 10.04.2019 पृष्ठांकन क्र. 1007 दिनांक 11.06.2019 एवं पृष्ठांकन क्र. 1439 दिनांक 22.08.2019 द्वारा जारी/प्रसारित परिपत्र की प्रति जो अनावेदक को पूर्व में भेजी गयी थी की छायाप्रतियाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त पत्र में संलग्न है। जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

अतएव उक्त दस्तावेज व संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक के विरुद्ध धारा 133 सी.आर.पी.सी. के तहत कार्यवाही की जा सकती है। श्री मान जी द्वारा जब भी तिथि निर्धारित हो उक्त अवधि में उपस्थित होकर संलग्न अभिलेखों को सत्यापित कर दूंगा। इस कार्यालय द्वारा जारी एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को अधोहस्ताक्षर का सत्यापन मानकर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है।

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक
10/9/20

पृ.क्रमांक/ 1244 / क्षे.का./तक./प्रनिबो/2020
प्रतिलिपि,

1. माननीय कलेक्टर महोदय जिला रीवा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री राजेन्द्र तिवारी बोर्ड, अधिवक्ता जिला अधिवक्ता कार्यालय रीवा की ओर लेख है कि प्रकरण पर बोर्ड का पक्ष रखकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रीवा (म.प्र.)